

OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से बहराइच न्यायालय द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास तथा 10500-10500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।





CONVICTING THE CRIMINALS

Meticulous Investigation & Prosecution

बहराइच पुलिस

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **#OperationConviction** के दृष्टिगत बहराइच पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में **दिनांक 10.09.2024** को माननीय न्यायालय ASJ/FTC-II, बहराइच द्वारा लाठी-डण्डा व भाले से हत्या करने वाले आरोपियों को दण्डित किया गया।

विवरण निम्नवत है -

पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना जरवल रोड में पंजीकृत मु.अ.सं. 223/1998 धारा 323, 324, 325, 302 भा.द.वि. के आरोप में अभियुक्त 1. रामलखन यादव पुत्र नान्हू यादव, 2. रामतेज यादव पुत्र छोटेला निलगण वन विभाग अहाता थाना जरवल रोड बहराइच को **सश्रम आजीवन कारावास व 10,500/- रु के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।



श्री सुनील जायसवाल
ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल



हे0का10 चन्द्र माधव
कोर्ट मोहार्डर



का10 जितेन्द्र यादव
थाना पैरोकार